फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली–बहरोड़
कैलाशचन्द बनाम उपखण्ड अधिकारी विराटनगर वगै0
केस संख्या ...52..../2024 प्रा0पत्र मुन्तकिल

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
05.08.2024	दरख्वास्तगुजार ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बउनवान कैलाशचन्द बनाम जुगलकिशोर वगै0 मुकदमा नम्बर 149/2023 को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण/प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर से बिन्दुवार टिप्पणी हेतु तहरीर जारी हो। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजि0 नोटिस तलवान पेश करे, जारी हो। पत्रावली दिनांक 27.08.2024 को पेश हो। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़	
27/8/24	पत्रावली आज पेश हुई। उपखण्ड अधिकारी विराटनगर से टिप्पणी प्राप्त हो चुकी है। वकील प्रार्थी तथा प्रार्थी स्वयं उपस्थित नहीं है। वाद पेश होने तथा प्रार्थी व अप्रार्थीगण की हेतु दिनांक 17/9/24 को पेश हो। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़	
17/9/24	पत्रावली आज प्रार्थी की मोर से प्रार्थना पत्र पेश होने पर नीमत तारीख पेशी से तामील होकर पेश हुई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया कि उपखण्ड में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। प्रार्थी की पहचान उनके अधिवक्ता की उपस्थिति में की। अतः उपखण्ड में प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ कोई कार्यवाही नहीं चाहने से प्रकरण प्रारम्भिक स्तर पर खारिज किया जाता है। हाईकोर्ट न्यायालय को रिपोर्ट की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़	कैलाशचन्द पहचान कर्ता (अनूप कुमार शर्मा)